

न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया

अधिहरण वाद संख्या-22/2021

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार बनाम कुमरजी यादव एवं अन्य


आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
	<p>यह वाद समाहर्ता, अररिया के न्यायालय से विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त है। इस वाद की कार्यवाही अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (ज्ञाप सं०-1245/म०नि०, दिनांक 31.12.2020) के आलोक में सदर अंचल उत्पाद कांड संख्या-56/2020, दिनांक 04.12.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 में जब्त चार पहिया वाहन स्कार्पियों पंजीयन संख्या-MH02AL-2700, चेसीस संख्या-MAIT2BSC52C67673, ईजन संख्या-BS54C36182 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई।</p> <p>विपक्षी लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें इस वाद में कोई रुचि नहीं है। न्यायहित में निर्णय देना जरूरी है। जिला परिहवन पदाधिकारी, अररिया ने अपने पत्रांक 267/जि०परि०, दिनांक 20.02.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किये है कि संबंधित वाहन के वाहन स्वामी का विस्तृत विवरणी कार्यालय के कम्प्यूटर में ऑनलाईन प्रदर्शित नहीं हो रहा है। अतः इस वाद को आदेश पर रखा गया।</p> <p>अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अवर निरीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को दिनांक 04.12.2020 को गुप्त सूचना मिली कि एक ब्लू रंग का स्कार्पियों पश्चिम बंगाल से अवैध विदेशी शराब की एक बड़ी खेप आने वाली है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अवर निरीक्षक, मद्यनिषेध, मद्यनिषेध सिपाहियों के साथ विभागीय वाहन द्वारा हड़ियाबाड़ा टॉल प्लाजा पहुँचकर अररिया की तरफ आने वाली सभी वाहनों की जाँच प्रारम्भ किये। जाँच के क्रम में करीब 11:05 बजे एक ब्लू रंग का चार पहिया वाहन स्कार्पियों पंजीयन सं०-MH02AL-2700 हरियाबाड़ा टॉल प्लाजा पर पहुँची, जिसे मद्यनिषेध सिपाहियों के द्वारा रोका गया। रोककर घटना स्थल पर उपस्थित दो साक्षी के समक्ष वाहन के पिछली सीट पर रखे गए Royal Stag Whisky का 14 कार्टून प्रत्येक कार्टून में 375 मिली लीटर का 24 बोतल कुल 126 लीटर, Imperial Blue Whisky का 11 कार्टून प्रत्येक कार्टून में 375 मिली लीटर मात्रा का 24 बोतल, कुल 99 लीटर, कुल योग 225 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। बरामद शराब एवं चार पहिया वाहन को विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में शराब की पुष्टि की गई है।</p> <p>अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त चार पहिया वाहन से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। जब्त चार पहिया वाहन राजसात होने योग्य है।</p> <p>अधीक्षक, मद्यनिषेध, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न</p>	


कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी का जब्त जब्त चार पहिया वाहन स्कार्पियों पंजीयन संख्या—MH02AL-2700 का उपयोग अवैध शराब को व्यवसायिक उद्देश्य से ढोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त वाहन बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार सदर अंचल उत्पाद कांड संख्या—56/2020, दिनांक 04.12.2020 में जब्त चार पहिया वाहन स्कार्पियों पंजीयन संख्या—MH02AL-2700, चेसीस संख्या—MAIT2BSC52C67673, ईंजन संख्या—BS54C36182 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 58(2) के अंतर्गत राजसात(Confiscate) किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा—92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं।


उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित,


अपर समाहर्ता,
अररिया


अपर समाहर्ता,
अररिया

- ज्ञापांक 20/रा(न्या0), अररिया, दिनांक 25/08/2021
- प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अधीक्षक, मद्य निषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


अपर समाहर्ता,
अररिया